न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेशकुमार कुमार आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 2017/00184

1. इन्द्रादेवी पत्नी बद्रीराम पुत्री स्व. पृथ्वीराम राजति बिश्नोई निवासी 5 बीडी तहः घड़साना जिला श्रीगंगानगर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. इन्द्रजीत पुत्र पृथ्वीराम जाति बिश्नोई निवासी 7 बीडी तहः खाजूवाला
2. सावित्री पत्नी पृथ्वीराम जाति बिश्नोई निवासी 7 बीडी तहः खाजूवाला
3. तारादेवी पुत्री पृथ्वीराम पत्नी विनोदकुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 2 पीपीएम तहः सुरतगढ़
4. धापु उर्फ सरोज पुत्री पृथ्वीराम पत्नी सुरेश जाति बिश्नोई निवासी डलपुरा तहः सुरतगढ़
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

आदेश दिनांक :– 28.05.2025

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री रफीकशाह अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट सं0 1 ता 5 के पिता/पति के नाम से चक 8 बीडी बी मु0नं0 153/28, 153/35 में 19.14 बीघा व चक 7 बीडी मु0नं0 173/29 में 17.16 बीघा इसप्रकार दोनो चको में 37.10 बीघा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 5 के पिता/पति पृथ्वीराज की मृत्यु दिनांक 27.01.2016 को हो गई। पृथ्वीराम के निम्न वारिस सावित्री(पत्नी), इन्द्रादेवी(पुत्री), इन्द्रजीत(पुत्र), तारीदेवी(पुत्री), रजी उर्फ शिला(पुत्री), धापु उर्फ सरोज(पुत्री) है। इसप्रकार पृथ्वीराज के कुल 4 पुत्रीयां 1 पुत्र व पत्नी कुल 6 जिन्दा वारिस है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने फर्जी व कूटरचित वसीयत पिता पृथ्वीराम के मरने के बाद तैयारकर अधीनस्थ न्यायालय में नामान्तरण चढ़ाने के लिए प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत में लगे कैम्प 22 केवाईडी में पेश की ताकि किसी को ईल्म ना हो और चुपचाप फर्जी वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश करवा सके। यदि दस्तावेज वसीयतनामा सही होता तो परिवार के सदस्यों को जानकारी होती तथा ग्राम पंचायत 14 बीडी के कैम्प में दरखवास्त पेश की जाती लेकिन तथ्यों को छुपाकर दरखवास्त ग्राम पंचायत 22 केवाईडी के कैम्प में पेश की। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने फर्जी व कूटरचित वसीयत पिता पृथ्वीराम के मरने के बाद तैयारकर अधीनस्थ न्यायालय में नामान्तरण चढ़ाने के लिए प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत में लगे कैंप 22 केवाईडी में पेश की ताकि किसी को ईल्म ना हो और चुपचाप फर्जी वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश करवा सके। यदि दस्तावेज वसीयतनामा सही होता तो परिवार के सदस्यों को जानकारी होती तथा ग्राम पंचायत 14 बीडी के केम्प में दरखावास्त पेश की जाती लेकिन तथ्यों को छुपाकर दरखवास्त ग्राम पंचायत 22 केवाईडी के कैम्प में पेश की। इसलिए आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। वसीयतनामा का स्टाम्प खरीद किया गया बताया है जो कि खाजूवाला स्टाम्प विक्रेता से दिनांक 03.10.2013 को खरीद होना बताया है जो इकरारनामा बाबत् क्रय किया गया है जिसपर फर्जी तरीके से पृथ्वीराम के मरने के बाद वसीयत तैयार की गई है। अतः आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये

जाने योग्य है। वसीयतनामा जो दिनांक 03.10.2013 को बीकानेर कोर्ट से बीकानेर में नोटेरी से प्रमाणित करवाई गई है। जो और अधिक संदिग्ध हो जाती है। क्योंकि खाजूवाला में 2–3 नोटेरी पब्लिक है स्टाम्प खाजूवाला में खरीदना और प्रमाणित बीकानेर में करवाना संदिग्ध प्रतीत होता है इसलिए आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। पृथ्वीराम के एक पुत्र व चार पुत्रियां कुल 5 ही संतान है लेकिन वसीयत में 6 संतान बताई गई है तथा परिवार की सहमति होना बताई है जबकि मेरे पिताजी की मेरे भाई के साथ अनबन रहती थी। इसलिए मेरे भाई रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने जो वसीयत बनाई है वह पिताजी के मरने के बाद बनाई है जो फर्जी व कूटरचित है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व बिना माईड अप्लाई किये रेस्पोडेन्ट सं0 1 के प्रभाव में आकर मिलीभगत कर बिना मौका की जांच करवाए, चुपचाप तरीके से आदेश अधीनस्थ न्यायालय पारित कर कानूनी भूल की है इसलिए आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय चुपचाप मिलीभगत कर बाला–बाला तरीके के बिना अपीलांट को सुने आदेश पारित कर दिया। इसलिए आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ने वारिस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत 14 बीडी से सम्पर्क किया जो सरपंच महोदय ने बताया कि वारिसनामा बनाने के लिए आपके भाई ने मना किया है क्योंकि भूमि की वसीयत की कार्यवाही चल रही है इसलिए वारिसनामा की आवश्यकता ही नहीं है तब अपीलांट को शक हुआ तथा तहसील में नामान्तरण वसीयत की कार्यवाही की जानकारी ली तो पता चला की वसीयत के द्वारा नामान्तरण रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज करने का आदेश हो चुका है। तब नकल लेने की कार्यवाही की तथा बाद तैयारी नकल मिली । डिले कन्डोन करने योग्य है। अपील अन्दर मियाद धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की है तथा काबिल समाअत अदालत वाला के है। अपील अपीलांट प्रस्तुत करके निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला दिनांक 18.09.2017 निरस्त फरमाया जाकर विरासतन नामान्तरण दर्ज करने के आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल हाजिर आये। पत्रावली पर सुना गया। सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट ने बताया कि उक्त जैरअपील आदेश एकतरफातोर पर पारित हुआ है और जानकारी के अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाना है।

दौराने बहस अपीलांट अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसके अनुसार अपीलांट के पिता पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वी पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के वाके चक 8 बीडी बी मु0नं0 153/28, 153/35 में कुल 19.14 बीघा व चक 7 बीडी मु0नं0 173/29 में 17.16 बीघा इसप्रकार 37.10 बीघा क0/अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। अपीलांट के पिता का देहान्त दिनांक 27.01.16 को हो चुका है। अपीलांट के पिता के अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स विधिक उतराधिकारी है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 के साथ पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वी की कभी भी नहीं बनती थी हमेशा अनबन रहती थी। फिर भी रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने साठगांठ कर

फर्जी एवं कूटरचित तरीके से ईकरारनामा का स्टाम्प खाजूवाला से क्रय कर बीकानेर जाकर नोटेरी से ईकरारनामा के स्टाम्प पर फर्जी वसीयत प्रमाणित पिता की मृत्यु के वसीयत दिनांक 03.10.2013 को बनाकर उक्त फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत 22 केवाईडी कैम्प में वसीयत प्रकरण सं0 81/2017 श्रीमान तहसीलदार खाजूवाला के समक्ष पेशकर निर्णय दिनांक 18.09.2017 के आधार पर नामान्तरण चुपचाप फर्जी वसीयत का रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपने नाम दर्ज करवा लिया। जबकि ग्राम पंचायत 14 बीडी में भी कैम्प लगा उसमें पेश ना कर ग्राम पंचायत 22 केवाईडी में पेश किया ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। जिसकी जानकारी अपीलांट को जैसे से ही हुई तो बिना देरी के न्यायालय में अपील पेश की। तथा एक एफआईआर सं0 42/2018 पुलिस थाना खाजूवाला में अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.सं. दर्ज करवाई जिसपर जांच अधिकारी द्वारा कार्यवाही करते हुए कूटरचित फर्जी वसीयत के दस्तावेज पर किये गए हस्ताक्षर व अगूंठा निशानी का एफएसएल मिलान करवाया गया तो वसीयतनामा पर किये गए हस्ताक्षर व अगूंठा निशानी जाली होना पाया गया तथा रेस्पो0 सं0 1 व गवाहन के विरूद्ध पुलिस थाना खाजूवाला द्वारा आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया गया जिसकी जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि पूर्व में पेश की जा चुकी है जोकि शामिल मिसल है इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे। अपीलांट द्वारा उक्त कूटरचित व फर्जी वसीयत को अवैध व शून्य घोषित करवाने के लिए माननीय न्यायलय सिविल न्यायालय खाजूवाला के समक्ष दावा नंबरी दीवानी प्रकरण सं0 14/2019 पेश किया जिसपर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.02.25 को आदेश परिणामतः वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व 2 सीपीसी वर्णीतानुसार मृतक पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वी द्वारा तथाकथित रूप से दिनांक 03.10.2013 को प्रतिवादी सं0 1 इन्द्रजीत के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा को निष्प्रभावी/शून्य घोषित किया जाता है। साथ ही आनुषंगिक अनुतोष के रूप में यह आदेश दिया जाता है कि उक्त वसीयतनामा दिनांक 03.10.2013 के आधार पर दर्ज नामान्तरण को भी निष्प्रभावी/शून्य घोषित किया जाता है। आदेश व डिक्री की प्रतिलिपि न्यायालय में पेश की जा चुकी है जो शामिल मिसल है इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार कर कूटरचित फर्जी वसीयतनामा के आधार पर रेस्पो0 सं0 1 के पक्ष में श्रीमान तहसीलदार खाजूवाला द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 18.09.2017 व उक्त निर्णय के आधार पर दर्ज नामान्तरण को खारिज कर चक 8 बीडी बी मु0नं0 153/28, 153/35 में कुल तादादी 19.14 बीघा व चक 7 बीडी मु0नं0 173/29 में 17.16 बीघा इसप्रकार कुल 37.10 बीघा क0/अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वी पुत्र मनीराम के जायज वारिसान के नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज करने का आदेश प्रदान करें। रेस्पोडेन्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता अनेक अवसर देने के बावजूद बहस हेतु हाजिर नहीं आए।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार जैर अपील रकबा तहसीलदार खाजूवाला के वसीयत प्रकरण सं0 81/17 निर्णय दिनांक 18.09.2014 के आधार पर नामान्तरण रेस्पो0 सं0 1 के नाम दर्ज हुआ किन्तु माननीय सिविल न्यायाधीश खाजूवाला के समक्ष दावा नंबरी दीवानी प्रकरण सं0 14/2019 में निर्णय दिनांक 28.02.25 द्वारा उक्त वसीयतनामा दिनांक 03.10.2013 को निष्प्रभावी/शून्य घोषित कर दिया है। इसलिए उक्त वसीयत के आधार पर दर्ज नामान्तरण खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के वसीयत प्रकरण सं0 81/17 निर्णय दिनांक 18.09.2014 के आधार पर रेस्पो0 सं0 1 के नाम दर्ज नामान्तरण को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस आशय से रिमान्ड की जाती है कि अपीलांट के साथ साथ पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वी के अन्य जायज वारिसों को भी रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पुनः नियमानुसार आदेश पारित करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेशकुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)